उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटैक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 चन्दनवाड़ी (प्रेमनगर) देहरादून।

दूरभाष :–0135–2770126 टेलीफैक्स 0135–2770124, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

पत्रांक 5719/स0ले0/वित्त समिति बैठक–17/2010–11 दिनांक 13 .12.2010

सेवा में,

अपर सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–वित्त समिति की सम्पन्न हुई अष्ट्म बैठक दिनांक 16.11.2010 के कार्यवृत्त पर लिए गये विनिश्चिय।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की वित्त समिति की अष्ट्म बैठक दिनांक 16.11.2010 को प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, मा0 कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी।

उक्तानुसार सम्पन्न हुई बैठक सम्बन्धी विनिश्चय (निर्णय) की छाया प्रति अभिलेख हेतु संलग्न है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उक्त बैठक के विनिश्चिय की छायाप्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रतिकुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
2–कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3–निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
4–परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,निर्माण इकाई, देहरादून, दून विश्वविद्यालय परिसर, केदारपुरम देहरादून, पो0–डिफेंस कॉलोनी देहरादून, को उक्त बैठक के बिन्दु0 सं0 3 के उद्धरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– यथोपरि।

13/12/2010
(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटैक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 चन्दनवाडी (प्रेमनगर) देहरादून।
दूरभाष :–0135–2770126 टेलीफैक्स 0135–2770124, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

17/11/10

वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.11.2010 का कार्यवृत्त

प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, मा0 कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में वित्त समिति की अष्टम बैठक प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यालय कक्ष में दिनांक 16.11.2010 (मंगलवार) को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने प्रतिभाग कियाः–

(01) प्रो0 डी0एस0 चौहान,
कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। – अध्यक्ष

(02) श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य

(03) प्रो0 एच0सी0 नैनवाल,
प्रतिकुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। – सदस्य

(04) श्री चन्द्र सिंह मेहता,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। – सदस्य

(05) श्री प्रमोद कुमार जोशी
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। – सदस्य सचिव

बैठक में निम्नानुसार विनिश्चय / निर्णय लिए गये:–

211

एजेण्डा बिन्दु 01–

दिनांक 10.03.10 को आयोजित सप्तम बैठक की कार्यवाही की वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 02–

दिनांक 10.03.2010 को सम्पन्न वित्त समिति की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 03–

विश्वविद्यालय को सुद्धोवाला में आंबटित भूमि / भवन पर स्वीकृत प्रांकलनों के सापेक्ष भौतिक / वित्तीय प्रगति।

इस क्रम में अध्यावधिक भौतिक / वित्तीय प्रगति **(परिशिष्ट–'क')** पर अवलोकन करना चाहें।

विनिश्चय :–

इस प्रकरण पर विचार विमर्श बाद वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भ से अध्यावधिक निर्मित / निर्माणाधीन समस्त कार्यो की परियोजनावार पृथक पृथक भौतिक / वित्तीय प्रगति की सम्पुष्टि में कार्यदायी संस्था द्वारा हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी अविलम्ब ही शासन / विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

इस क्रम में वित्त समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि राजकीय महिला पॉलिटैक्निक सुद्धोवाला में विश्वविद्यालय को आंबटित भवन पर स्थापित कुलपति / वित्त नियंत्रक कार्यालय हेतु शासन द्वारा मूल स्वीकृत प्रीफैब्रीकेटेड प्रांकलन रू0 49.24 लाख निर्माण कार्य के सापेक्ष शासन को पूर्व उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित प्रांकलन रू0 86.08 लाख के अनुसार वास्तव में भौतिक रूप से कृत कार्यो की संयुक्त जांच मा0 कुलपति / प्रतिकुलपति / वित्त नियंत्रक / कुलसचिव की संयुक्त समिति से कार्यदायी संस्था द्वारा अविलम्ब करायी जायेगी।

तदनुसार गठित जांच समिति द्वारा की गयी जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 04–

विश्वविद्यालय में 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियगित लिपिक वर्गीय कार्मिकों हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने पर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों की नियुक्ति की गयी थी। शासनादेश सं0 21 / xxvii(7)अ0पे0यो0 / 2005 दिनांक 25.10.2005 के प्रस्तर सं0 (1) अनुसार राज्य सरकार की सेवाओं एवं शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्वायतशासी संस्थाओं तथा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू हैं और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है। इन प्रवेशकों पर वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नव–परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.10.05 से लागू की गयी है। तदनुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.09 से नियमित नियुक्त लिपिक वर्गीय कार्मिकों पर नयी पेंशन योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। नई पेंशन योजना अर्न्तगत वेतन +ग्रेडपे व महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। इसी के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

FC

विनिश्चय :--

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सम्पुष्टि की गयी। इस क्रम में निर्णय लिया गया कि शासनादेश सं0 21/xxvii(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 के पुनरीक्षित शासनादेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 05–

विश्वविद्यालय में 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों हेतु उपादान योजना (Gratuity Scheme) लागू किये जाने हेतु विचारार्थ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.2009 से 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों की नियुक्ति की गयी थी। संगत शासनादेशानुसार दिनांक 01.10.2005 से नियुक्त कार्मिकों हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसी क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम न्यू कर्नाड प्लेस, देहरादून, के प्रस्ताव दिनांक 09.10.2009 **(परिशिष्ट–'ख')** के अनुसार 8 कर्मचारियों के लिए समूह उपादान योजना (Group Gratuity Scheme) प्रस्तुत की गयी है जिसके सापेक्ष रू0 64859/–(रू0 चौसठ हजार आठ सौ उनसठ) वार्षिक प्रीमियम L.I.C द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रीमियम की धनराशि नियोजक द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में L.I.C द्वारा शर्त रखी गयी है कि भविष्य में कर्मचारियों की सं0 वृद्धि अथवा मासिक वेतन वृद्धि किये जाने पर तद्नुसार प्रीमियम/वार्षिक किश्त में भी वृद्धि सम्भावित है। वर्तमान में **इस कम में केन्द्र अथवा राज्य सरकार से कोई शासनादेश जारी नही है।** अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :--

इस सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मा0 कुलपति महोदय, द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक समिति गठित कर एल0आई0सी0 की भांति ऐसी अन्य एजेन्सीज से तुलनात्मक प्रस्ताव मांगे जायेगें। तद्नुसार ही न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम/वार्षिक किस्त की धनराशि का प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 06–

वर्ष 2009–10 व 2010–11 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत पारिश्रमिक दरों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागीय भर्ती परीक्षाएं/प्रवेश परीक्षाएं सम्पन्न की गयी है/की जा रही है। इस क्रम में परीक्षाओं के आयोजनार्थ केन्द्राध्यक्षों/पर्यवेक्षकों एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक से सम्बन्धित विभिन्न दरों का निर्धारण सत्र/वर्ष 2009–10 व 2010–11 हेतु माननीय कुलपति, महोदय के अनुमोदन से विभिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा अधिसूचित की गयी हैं जो **(परिशिष्ट–'ग')** पर अवस्थित है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :--

इस क्रम में विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्र 2009–10 व 2010–11 मे आयोजित/सम्पन्न विभिन्नपाठ्यक्रमों (बी0एड0/यू0पी0एम0टी0/यू0ए0पी0एम0टी0/ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 आदि) की अन्य विभागीय प्रवेश परीक्षाओं में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिश्रमिक /आकस्मिक व्यय की दरों का भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन/परीक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय/अन्य समीपवर्ती विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। जिन दरों पर भुगतान किया गया है उनका अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु 07–

विश्वविद्यालय में पृथक विद्युत संयोजन न होने पर राजकीय महिला पॉलिटैक्निक सुद्धोवाला में पूर्व से स्थापित विधुत संयोजन से ही पृथक मीटर लगने तक तत्सम्बन्धी देयक का भुगतान प्रत्येक माह बारी बारी से वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में कृत भुगतान का प्रस्ताव ।

महिला पॉलिटैक्निक द्वारा स्थापित विद्युत संयोजन से ही विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में विद्युत उपभोग माह मार्च,10 के अन्तिम सप्ताह से निरन्तर किया जा रहा है। यू0टी0यू0 के लिए पृथक से कोई मीटर अभी तक स्थापित नही है। अतः इस क्रम में कुलपति महोदय एवं प्रधानाचार्य (महिला पॉलिटैक्निक) की परस्पर सहमति अनुसार यू0टी0यू0 का पृथक मीटर लगने तक वित्त वर्ष 2010–11 में प्राप्त होने वाले विद्युत देयों का भुगतान यू0टी0यू0 बजट से ही किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार ही इस मद की देयक सं0 1546 दिनांक 10.05.10 रू0 28045/– अवधि 01.04.10 से 30.04.10 का भुगतान वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में विद्युत विभाग को किया जा चुका है **(परिशिष्ट–'घ' पर)**। तद्नुसार ही अग्रेत्तर विद्युत देयों का भुगतान भी पृथक मीटर लगने तक यू0टी0यू0 द्वारा पारी पारी से किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :–

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव का वित्त समिति द्वारा यथावत अनुमोदन किया गया । वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का पृथक विद्युत मीटर यथाशीघ्र स्थापित किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 08–

श्री चन्द्र सिंह मेहता, कुलसचिव, यू0टी0यू0,की गुर्दा रोग चिकित्सा पर अवधि माह मार्च,10–एवं अप्रैल, 10 धनराशि रू0 48,534/–का भुगतान वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा मे किये जाने पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। तथा आगामी भुगतानों की स्वीकृति पर विचार।

शासनादेश सं0 679/चि0–3–2006–437/2002 दिनांक 04.09.2008 द्वारा प्रदेश में सेवारत /सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। इसी कम में एवं शासनादेश सं0 647/xxiv(6)/2005–3 (112)/2002 दिनांक 28 जून, 2006 में निर्धारित सेवा शर्त सं0 25 के कम में श्री चन्द्र सिंह मेहता, कुलसचिव, द्वारा अपने गुर्दा रोग चिकित्सा गैर सरकारी चिकित्सालय से अवधि मार्च, 10 एवं अप्रैल 10 में तत्सम्बन्धी पैथोलोजी टैस्ट एवं औषधियों पर व्यय कुल धनराशि रू0 48534/–की चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देहरादून की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर एवं वित्त समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में किये गये भुगतान व इसी श्रेणी के आगामी देयकों का भुगतान भी यथावत किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :–

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव का वित्त समिति द्वारा यथावत अनुमोदन किया गया। इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त आगामी देयकों हेतु शासनादेश सं0 647/xxiv(6)/2005–3 (112)/2002 दिनांक 28 जून, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया/शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 09–

विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 87 नियमित पदों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.10 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तावित 87 पदों के सृजन पर सहमति बनी है। तद्नुसार प्रस्ताव पूर्व ही शासन स्तर को स्वीकृतार्थ भेजा जा चुका है। जिसकी छाया प्रति **(परिशिष्ट–'च')** पर प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यसूची में प्रस्तावित नये 87 पदों के प्रस्ताव का वित्त समिति द्वारा यथावत अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस क्रम में प्रस्तावित आंशिक पुनरीक्षण पर चर्चा आगामी वित्त समिति की बैठक में की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 10–

आंबटित भूमि पर प्रस्तावित एकेडेमिक ब्लॉक निर्माण के प्रारम्भिक आगणन रू0 4743.78 लाख का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत कुलपति महोदय के निर्देशानुसार आबंटित भूमि पर ही पृथक से एक एकेडमिक ब्लॉक भवन निर्माण हेतु रू0 4743.78 लाख का प्रारम्भिक प्रांकलन कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर शासन से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पूर्व ही कुलसचिव के कार्यालय पत्रांक 3931/स0ले0–13/एकेडमिक भवन/10–11 दिनांक 08.09.10 द्वारा भेजा जा चुका है। यह

कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था किन्तु निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन को पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त बजट की आवश्यकता के दृष्टिगत तथा शासन स्तर से निर्माणाधीन कार्यों हेतु ग्रान्ट उपलब्ध न होने पर एकेडेमिक ब्लॉक का कार्य अब आगामी वित्तीय वर्ष 2011–2012 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है जिसका Abstract of cost **(परिशिष्ट–'छ')** पर है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ है।

विनिश्चयः–

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2010–11 में बजट की कमी के कारण सर्वप्रथम प्रथम चरण में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं तत्सम्बन्धी स्वीकृत प्रांकलन के अन्य कार्य ही विहित अवधि अन्तर्गत पूर्ण कराये जायेंगें।

एजेण्डा बिन्दु 11–

शासन स्तर से माह सितम्बर, 10 में तैनात चार विशेष कार्याधिकारियों के वेतन आहरण प्रस्ताव।

शासन स्तर से जारी आदेशानुसार निम्नांकित 4 विशेषकार्यधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। इन अधिकारियों द्वारा निम्नांकित तिथि से विश्वविद्यालय में योगदान किया गया है:–

नाम	योगदान तिथि
श्री अवनीश जैन, ओ0एस0डी0	08.09.2010
श्री एस0पी0 सचान, ओ0एस0डी0	08.09.2010
प्रो0 विजय जुयाल, ओ0एस0डी0	16.09.2010
प्रो0 आर0के0 सिंह, ओ0एस0डी0	16.09.2010

इस क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रतिनियुक्ति के सापेक्ष विश्वविद्यालय में समान/उच्च वेतनमान में नियमित पद स्वीकृत नही है। फलस्वरूप इनके प्रतिमाह वेतन आहरण का प्रकरण आवश्यक दिशा निर्देश हेतु एवं विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विनिश्चयः–

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संगत शासनादेशों में वर्णित समस्त विशेष कार्यधिकारियों का वेतन भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परिस्थितियों में किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 12–

सम्बद्धता शुल्क एवं सुरक्षा धनराशि का पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में विभिन्न ए0आई0सी0टी0ई0 एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम सम्बद्ध संस्थानों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों हेतु पूर्व निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं एफ0डी0आर0 के रूप में ली जा रही धनराशि का पुनरीक्षण किया जाना अपरिहार्य है। तद्नुसार विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट–'ज')** पर सलंग्न है।

विनिश्चयः–

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा यथावत अनुमोदन किया गया। उक्त पुनरीक्षित दरें आगामी सभी सम्बद्धता प्रस्तावों पर लागू होगी।

एजेण्डा बिन्दु 13–

मै0 ललित एडवरटाइजिंग, देहरादून के 4 विज्ञप्ति प्रकाशन मदों से सम्बन्धित वर्ष 2009–10 के लम्बित देयकों रू0 2,01,627.00 के भुगतान का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव के कार्यकाल में वर्ष 2009–2010 में जनरेटर किराये पर लेने, विज्ञापन एजेन्सियों की सूचीबद्धता,यू0के0एस0ई0ई0 विवरणिका मुद्रण एवं प्रथम दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विज्ञप्तियों का प्रकाशन उक्त फर्म के माध्यम से सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना कराया गया। तत्सम्बन्धी 4 देयकों रू0 2,01,627.00 (दो लाख एक हजार छः सौ सत्ताईस) की छाया प्रतियां **(परिशिष्ट–'झ')** पर प्रस्तुत है।

विनिश्चयः—

वित्त समिति द्वारा मै0 ललित एडवरटाइजिंग देहरादून के विज्ञप्ति प्रकाशन मद से सम्बन्धित वर्ष 2009—10 के चार लम्बित देयकों पर भुगतान के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा मा0 कुलपति महोदय को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इसी श्रेणी के अन्य पिछले समस्त लम्बित देयकों (पूर्व कुलसचिव के कार्यकाल के) जिन पर उ0ख0 अधिप्राप्ति नियमावली 2008, व अन्य संगत नियमों के अनुसार अपेक्षित कोटेशन/टेण्डर आवश्यक स्वीकृतियां/आपूर्तिआदेश/कार्यादेश एवं सामग्री की आवश्यकता/उपयोगिता आदि की निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण नही है, के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति, द्वारा गठित विश्वविद्यालय की समिति द्वारा जांच/परीक्षण किया जायेगा। तद्नुसार गठित समिति की जांच आख्या के आधार पर समस्त भुगतान प्रकरण वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 14—

वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु अनुमानित आय—व्ययक के अनुमोदन पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु विगत दो वित्त वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर एवं वर्तमान मूल्य वृद्धि/आवश्यकता के दृष्टिगत अनुमानित आय व्ययक तैयार कर **(परिशिष्ट—'ञ')** पर संलग्न है। अतः प्रस्ताव कार्येत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चयः—

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त वित्त वर्ष 2010—11 हेतु प्रस्तावित आय व्ययक यथावत पारित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं वर्ष 2010—11 में 1.04.10 से 31.10.10 तक वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कृत व्यय रू0 17.45 करोड़ की कार्येत्तर स्वीकृति का भी अनुमोदन वित्त समिति द्वारा किया गया। साथ ही शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि आगामी वित्त वर्ष हेतु इस विषयक सम्बद्ध कम्पनियों/फर्मों अथवा विश्वविद्यालय से ऐसा साफ्टवेयर उपयोग किया जायेगा जो विश्वविद्यालय के बजट सम्बन्धी समस्त क्रिया कलापों के अनुरूप हों।

एजेण्डा बिन्दु 15—

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

(प्रो0 एच0सी0 नैनवाल)
प्रतिकुलपति

(चन्द्र सिंह मेहता)
कुलसचिव

02/12/2010
(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक

(प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान)
कुलपति/अध्यक्ष